"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, बुधवार दिनांक 20 फरवरी 2013—फाल्गुन 1, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्रमांक एफ-78/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/166.—दिनांक 20 फरवरी 2013 को नगर पंचायत आरंग, जिला-रायपुर, छ.ग. के 3 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-78/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. अंजनी बाई साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.

2. केशरीबाई/विष्णुसाहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.

3. शर्मिला वाडेगांवकर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 20 फरवरी 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायपुर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष पद के लिये दिसंम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत आरंग के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों अंजनी बाई साहू, केशरी बाई/विष्णुसाहू और शर्मिला वाडेगांवकर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थियों अंजनी बाई साहू, केशरीबाई/विष्णुसाहू और शर्मिला वाडेगांवकर को दिनांक 12 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी अंजनी बाई साहू को 22 मार्च 2010 को, शर्मिला वाडेगांवकर को दिनांक 25 मार्च 2010 को तथा केशरीबाई/विष्णुसाहू दिनांक 11 मार्च 2011 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी अंजनी बाई ने दिनांक 27 मार्च 2010 को एवं शर्मिला वाडेगांवकर ने दिनांक 30 मार्च 2010 को अपना जवाब आयोग में प्रस्तुत किया. अन्य अभ्यर्थी केशरीबाई/विष्णुसाहू ने कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी अंजनी बाई ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में प्रस्तुत अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर 2009 से 14 दिसम्बर 2009 तथा 15 दिसम्बर 2009 से 19 दिसम्बर 2009 तक का व्यय लेखा सहायक व्यय लेखा प्रेक्षक अधिकारी आरंग को क्रमशः दिनांक 17 दिसम्बर 2009 तथा 20 दिसम्बर 2009 को प्रस्तुत किया गया है. साथ ही मतदान दिनांक 21 दिसम्बर 2009 को मतदान केन्द्रों में मतदाताओं को आचार संहिता के विपरीत आटो तथा अन्य वाहनों से ढुलाई करते देखकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करते हुए उनके द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा का लेख किया गया है. इसके सन्दर्भ में आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि अंजनी बाई निर्धारित समय-सीमा में व्यय लेखा जमा करने में असफल रही है. अतएव छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के अन्तर्गत नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 22 नवम्बर 2012 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी को जारी सूचना तामील होने के पश्चात् प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः दिनांक 29 दिसम्बर 2012 को आहूत किया गया. अभ्यर्थी विधिवत् सूचना तामील होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को अनुपस्थित रही. अतः यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5. अभ्यर्थी शर्मिला वाडेगांवकर ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में प्रस्तुत अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके अभिकर्ता निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने दिनांक 26 जनवरी 2010 को जब रायपुर गये तब ज्ञात हुआ कि राजकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 27 जनवरी 2010 को जमा किया जायेगा. उनके द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा शपथपत्र सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल कराया गया. उनके द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार करने का निवेदन किया गया. इसके सन्दर्भ में आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि शर्मिला वाडेगांवकर समय-सीमा में व्यय लेखा जमा करने में असफल रही है. अतएव छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के अन्तर्गत नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 22 नवम्बर 2012 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी को जारी सूचना विधिवत् तामीली पश्चात् प्राप्त नहीं होने के कारण पुन: दिनांक 29 दिसम्बर 2012 अभ्यर्थी को आहूत किया गया. अभ्यर्थी विधिवत् सूचना तामील होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को अनुपस्थित रही, अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

6. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण अंजनी बाई साहू, केशरीबाई/विष्णुसाहू और शर्मिला वाडेगांवकर ने निर्वाचन व्यय लेखा समय सीमा में विहित अधिकारी को विधि के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था, अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

7. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत आरंग के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों अंजनी बाई साहू, केशरीबाई/विष्णुसाहू एवं शर्मिला वाडेगांवकर ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में औचित्यतापूर्ण जवाब प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी अंजनी बाई को उनके जवाब के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2010 को आहूत किया गया था जिसमें वे सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुई. यद्यपि अभ्यर्थी शर्मिला वाडेगांवकर ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में आयोग को प्रस्तुत अपने जवाब में निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में दिनांक 28 जनवरी 2010 को जमा कराये जाने का उल्लेख करते हुए उसकी पावती संलग्न की है तथा प्रस्तुत जवाब को स्वीकार करने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया है. अभ्यर्थी शर्मिला वाडेगांवकर द्वारा प्रस्तुत दलील के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा 28 जनवरी 2010 को जमा किया गया है, जो कि निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं है. उनके द्वारा विलम्ब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने का कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया है. उपरोक्त विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थियों अंजनी बाई साहू, केशरीबाई/विष्णुसाहू और शर्मिला वाडेगांवकर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये

कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता भी नहीं रखती हैं. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों अंजनी बाई साहू, केशरीबाई/विष्णुसाहू और शर्मिला वाडेगांवकर को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 20 फरवरी 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.